न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 52/2011

उनवान

रामू पुत्र भूरा, जाति माली, निवासी ग्राम म्हार कलां, तहसील चौमूं

—वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र बालू
2. बाबूलाल पुत्र बालू
3. नन्छू पुत्र बालू
4. बालू पुत्र नानगा
5. गोपाल पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
6. कमल पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
7. सोहन पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
8. गट्टू देवी पुत्री स्व0 बिरदीचन्द
9. लाडा देवी पत्नी स्व0 सुरजमल
10. तेजाराम पुत्र स्व0 सुरजमल
11. दौलतराम पुत्र स्व0 सुरजमल
12. कैलाश पुत्र स्व0 सुरजमल
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 सुरजमल
14. सोना पुत्रिया स्व0 सुरजमल
15. कैलाशी पुत्रिया स्व0 सुरजमल
16. सुशीला पुत्रिया स्व0 सुरजमल
17. मुलचन्द पुत्र भूरा

समस्त जातियान् माली, निवासीयान ग्राम म्हार कलां, तह0 चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 14.10.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम म्हार कलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 17 की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 0.14 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि सहित अन्य भूमियों का सभी खातेदारों ने अपने अपने हिस्से अनुसार बांट रखी है एवं उसी अनुसार उक्त भूमि वादी के हिस्से में आई है। उस पर वादी शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 17 के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादी की उक्त भूमि के उत्तर दिशा के सींवजोड काश्तकार है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उपर वर्णित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 17 की खातेदारी भूमि से कोई लेना–देना, सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। उक्त भूमि में एक कुआं स्थित है। जिसमें लोहे की सीढिया व उपर लकडी की ताण लगी है व चियूकली लगी हुई है। जो वादी की है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आये दिन वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उपयोग उपभोग की उक्त विवादित भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते है, मदाह–खलत करते है एवं जबरन कब्जा करने की चेष्टा में रहते है। करीब 6 माह पूर्व भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने वादी की उपर वर्णित भूमि के कुछ हिस्से पर जबरन अतिक्रमण कर एक मकान बना लिया था एवं अब पुन: वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करना चाहते है। वादी गरीब व अकेला व्यक्ति है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 सम्पन्न व पैसे वाले एवं

Scanned with CamScanner

ताकतवर लोग है जो वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है।

वादी को यह पुर्ण हक व अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द करवाये कि वे जबरन अनाधिकृत रूप से वादी की विवादित भूमि में प्रवेश नहीं करें, कोई निमार्ण सामग्री बजरी, ईट, पत्थर, सीमेन्ट, आदि नहीं डलवाये, नीव या खड्डे नहीं खोदे, कोई काम या पुख्ता निमार्ण नहीं करवाये, भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें।

वादी विवादित भूमिं का निरन्तर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा आराजी में काश्त कर हर प्रकार से फायदा उठाता चला आ रहा है व लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 विवादित भूमि में वादी व परफोरमा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 17 के उपयोग उपभोग में भूमि को काम में लेने दखलन्दाजी, मदाहखलत पैदा नहीं करे, ना ही भूमि में जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें, कब्जा करें, कोई निर्माण सामग्री बजरी, ईट पत्थर, सीमेन्ट आदि डलवाये, जबरन कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें, ना ही कोई नींव, खड्डे आदि खोदे ना ही उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि कें जरिये करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम म्हार कलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 52/2011

उनवान

रामू पुत्र भूरा, जाति माली, निवासी ग्राम म्हार कलां, तहसील चौमूं

—वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र बालू
2. बाबूलाल पुत्र बालू
3. नन्छू पुत्र बालू
4. बालू पुत्र नानगा
5. गोपाल पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
6. कमल पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
7. सोहन पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
8. गटटू देवी पुत्री स्व0 बिरदीचन्द
9. लाडा देवी पत्नी स्व0 सुरजमल
10. तेजाराम पुत्र स्व0 सुरजमल
11. दौलतराम पुत्र स्व0 सुरजमल
12. कैलाश पुत्र स्व0 सुरजमल
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 सुरजमल
14. सोना पुत्रिया स्व0 सुरजमल
15. कैलाशी पुत्रिया स्व0 सुरजमल
16. सुशीला पुत्रिया स्व0 सुरजमल
17. मुलचन्द पुत्र भूरा

समस्त जातियान् माली, निवासीयान ग्राम म्हार कलां, तह0 चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम म्हार कलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 14.10.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 14:26:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: